मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-9

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2007 (फाल्गुन 23, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 129 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 148 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267 क के अधीन विषय

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने प्रदेश में केरोसीन विक्रेताओं द्वारा भारी पैमाने पर कालाबाजारी किये जाने,

(2) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य ने शाजापुर जिले की तहसील गुलाना के ग्राम चितावद में मगलाज तक की सड़क जर्जर होने,

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पी.जी.एम.ओ. के स्वीकृत रिक्त पद न भरे जाने से मरीज परेशान होने,

(4) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने बैतूल जिले के मुलताई स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक निर्माण को रोके जाने, तथा

(5) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने म.प्र. क्षेत्र में रबी की फसल अच्छी होने के उपरांत सहकारी संस्था द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ न किये जाने से किसानों को नुकसान होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक एफ-ए-5-7-2006-1-पांच-(55), दिनांक 27 जुलाई, 2006,

(ख) क्रमांक एफ-ए-5-6-06-1-पांच-(81), दिनांक 28 दिसम्बर, 2006; तथा

(ग) क्रमांक एफ-ए-5-1-2006-1-पांच(72), दिनांक 31 अक्टूबर, 2006,

पटल पर रखे।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री हरिवल्लभ शुक्ला, सदस्य ने शिवपुरी जिले के मड़ीखेड़ा बांध के डूब प्रभावित कृषकों की फसल जप्त किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची में अपात्र लोगों का नाम शामिल किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रूस्तम सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री राम लखन शर्मा, डॉ. सुनीलम् एवं समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची में अपात्र लोगों का नाम शामिल किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री रविन्द्र सुका महाजन, सदस्य की बुरहानपुर जिले के -

(क) ग्राम बंभाड़ा से धामनगांव तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम चापोरा से धामनगांव तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम फोपनार से बड़सिंगी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(घ) ग्राम शेखापुर से बारातांडा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(ङ) ग्राम फोपनार से संग्रामपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने, तथा

(च) ग्राम मोहद-भावसा-खारी, तुरक गुराड़ा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(2) श्री रामदास उईके, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम घानाउमरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(ख) छिंदी कामथ करहैया से घोड़ाडोंगरी तक सड़क निर्माण कराये जाने, तथा

(ग) जुन्नारदेव में रोजगार पंजीयन कार्यालय खोले जाने,

(3) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले के -

(क) ग्राम रोहनिया स्थित पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम गुड़ा स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम निगहरा स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने, तथा

(घ) ग्राम सलैया स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के -

(क) ग्राम मकड़ावदा से बाजरली मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम प्रेमसर में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम श्योपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में साइंस कक्षायें खोले जाने,

(घ) ग्राम तलवाड़ा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ङ) ग्राम शाहपुरा से सलमान्या तक डब्लू.बी.एम. सड़क बनाये जाने,

(च) ग्राम गांधी नगर में यात्री प्रतीक्षालय बनाये जाने,

(छ) ग्राम बड़ोदा के स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने,

(ज) ग्राम पांडोला-राडेप मार्ग का उन्नयन कराये जाने, तथा

(झ) ग्राम भिलवाड़िया व कुडायथा के मध्य अहेली नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने, एवं

(5) श्री अखण्ड प्रताप सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के ग्राम गौटेट के पास सतधारा बांध का निर्माण कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

6. वर्ष 2006-2007 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2006-2007 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया

अध्यक्ष महोदय द्वारा तृतीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 15 मार्च, 2007 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया।

7. वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(1) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 1	सामान्य प्रशासन के लिए एक सौ दो करोड़, छप्पन लाख, इक्यासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए सत्रह करोड़, इक्यावन लाख इक्यानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 3	पुलिस के लिए बारह सौ करोड़, इकतालीस लाख, पचपन हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए ग्यारह करोड़, पैंतीस लाख, नौ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 32	जनसंपर्क के लिए बावन करोड़, चौबीस लाख, तिरसठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 46	विज्ञान और टेक्नॉलाजी के लिए पन्द्रह करोड़, चौबीस लाख, पचास हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 48	नर्मदा घाटी विकास के लिए सात सौ बासठ करोड़, पैतालीस लाख, पैतालीस हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 65	विमानन के लिए दस करोड़, उनचास लाख, छियासठ हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 1	1,2,3,4,6,10
मांग संख्या - 2	1,2,4
मांग संख्या - 3	1,2,3,5,7,11
मांग संख्या - 4	1,2,4,7
मांग संख्या - 32	1
मांग संख्या - 46	1,2,4
मांग संख्या - 48	1,2,4
मांग संख्या - 65	1,2

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा

(2) श्री लाल सिंह आर्य

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(4) डॉ. गोविन्द सिंह

(5) श्री दुर्गालाल विजय

सभापति महोदय (श्री इंद्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

(6) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(7) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(8) श्री रामलखन शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(9) श्री शंकरलाल तिवारी

(10) डॉ. सुनीलम्

(11) श्री सत्यदेव कटारे

(12) श्री ओमप्रकाश खटीक

(13) श्री आरिफ अकील

(14) श्री विजय बहादुर सिंह बुन्देला

(15) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल

(16) सुश्री ऊषा ठाकुर

(17) श्री लाखन सिंह बघेल

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या -7	वाणिज्यिक कर के लिए पांच सौ पचपन करोड़, अड़सठ लाख, अठारह हजार रूपये,
अनुदान संख्या -11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार के लिए तिरासी करोड़, बयासी लाख, अठहत्तर हजार रूपये,

अनुदान संख्या - 72 भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के लिए बयासी करोड़, इकसठ लाख, बयासी हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 7	1,2,3
मांग संख्या - 11	2,3,4
मांग संख्या - 12	1

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(4) श्री आरिफ अकील
(5) श्री रामलखन शर्मा
(6) श्री दुर्गालाल विजय
(7) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(8) श्री शंकरलाल तिवारी
(9) डॉ. निशिथ पटेल
(10) श्री गिरिजा शंकर शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 6	वित्त के लिए उनतीस सौ पांच करोड़, पच्चीस लाख, सैंतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के लिए चौबीस करोड़, तिहत्तर लाख, इक्यानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 38	रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय के लिए सत्रह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 50	बीस सूत्र कार्यान्वयन के लिए दो करोड़, चौतीस लाख, उनचास हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए एक सौ अस्सी करोड़, छियानवे लाख, बासठ हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 74	वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एक हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर कोई भी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 10	वन के लिए पच्चीस करोड़, इक्यावन लाख, पचहत्तर हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 36	परिवहन के लिए उन्नीस करोड़, उनसठ लाख, एक हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर कोई भी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(चर्चा अपूर्ण)

रात्रि 08 बजकर 06 मिनिट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 15 मार्च, 2007 (फाल्गुन 24, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.